कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 2342 **/ओबरा/15 भू0ह0** **दिनांक–** 29/02/**2020.**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– 400 के0वी0 डी0/सी0 जौनपुर ओबरा पारेषण लाईन में प्रभावित होने वाले कुल 2.434हे0 वन भूमि के अनुमति का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या–एफ0/उ0प्र0 /ट्रान्स/40906/2019)

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 1990/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 25.01.2020, आपका पत्रांक 4066/मी0क्षे0/33 दिनांक 27.02.2020 एवं प्रस्तावक विभाग का पत्रांक OCBTL/F&WL/42 दिनांक 28.02.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रांक 1990/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक 25.01.2020 द्वारा प्रेषित किया गया था, जिसके परीक्षणोपरान्त आपके कार्यालय के पत्र संख्या 4066/मी0क्षे0/33 दिनांक 27.02.2020 द्वारा आपत्ति की गयी थी। आपत्ति के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रस्तावक विभाग को निर्देशित किया गया। प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या OCBTL/F&WL/42 दिनांक 28.02.2020 द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्न है:–

बिन्दु संख्या	**मुख्य वन संरक्षक द्वारा कमियो का उल्लेख**	**निराकरण**
1	प्रस्तावित परियोजना में पार्ट–1 हार्ड कापी संलग्न नहीं की गयी है।	पार्ट–1 हार्डकापी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
2	प्रस्तावित परियोजना में एन0पी0वी0 की गणना 6.26 लाख की दर से की गयी है, जबकि कास्ंट बेनीफिट में 8.87 लाख से गणना की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कास्ट बेनीफिट पार्ट–1 के समय भरा जाता है, जब एन0पी0वी0 की दर ज्ञात नहीं होती है। 8.87 लाख प्रति हे0 की दर इको क्लास III के अधिकतम घनत्व के क्षेत्र की है। चूंकि प्रस्तावित प्रस्ताव में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र इको क्लास III का न्यूनतम घनत्व है, इसलिए भारत सरकार द्वारा इको क्लास III में न्यूनतम घनत्व के क्षेत्र हेतु निर्धारित दर 6.26 लाख के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना की गयी है।

Scanned by CamScanner

3	प्रस्तावित परियोजना में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के साइट निरीक्षण प्रमाण पत्र में बिन्दु संख्या– ए व बी में कुछ नहीं कहा गया है।	साइट निरीक्षण प्रमाण पत्र में बिन्दु ए में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावक विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कोई उल्लंघन नहीं किया है एवं कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। प्रमाण पत्र में जो बिन्दु उपयुक्त है, उसे बोल्ड में लिखा गया है।
4	प्रस्तावित परियोजना की लीज अवधि पार्ट–1 ऑनलाईन में 35 वर्ष तथा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ संख्या 63 पर 37 वर्ष उल्लेख किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्ताव के पार्ट–1 में बदलाव कर दिया गया है। लीज अवधि 37 वर्षो का है। पार्ट–1 की कापी संलग्न है।
5	प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि पर 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर अपलोड करें तथा संशोधित धनराशि आनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 में सही करें।	मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा लखनऊ के पत्रांक 403/2–37–2 (सीलिंग दर) दिनांक 14.02.2018 के निर्देशानुसार कैम्पा से कराये जा रहे वृक्षारोपणों का रखरखाव सात से दस वर्षो (वृक्षारोपण वर्ष का सम्मिलित करते हुए) तक किया जाना है। इसी अनुसार 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण वर्ष का भी सम्मिलित करने पर 10 वर्ष हो जायेगा।

अतः विषयक पारेषण लाइन का संशोधित प्रस्ताव चार प्रतियों में कमियों का निराकरण कर इस अनुसार के साथ महोदय को प्रेषित किया जा रहा है कि अपने स्तर से प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

Scanned by CamScanner